"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285] रायपुर, मंगलवार दिनांक 20 नवम्बर 2012—कार्तिक 29, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ-32/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1285.—दिनांक 20 नवम्बर 2012 को नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा, छ.ग. के 7 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-32/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. डॉ. जयपाल सिंह, अभ्यर्थी महापौर पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
2. भुनेश्वर राठौर, अभ्यर्थी महापौर पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
3. मुकुन्द सिंह, अभ्यर्थी महापौर पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
4. राजेश पाण्डेय, अभ्यर्थी महापौर पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
5. के. एन. सिंह, अभ्यर्थी महापौर पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
6. एस. डी. सिंह, अभ्यर्थी महापौर पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
7. पंडित हरीश परसाई, अभ्यर्थी महापौर पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 20 नवम्बर 2012

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), कोरबा (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 5 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 12 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम दिनांक 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 5 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पालिक निगम कोरबा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों डॉ. जयपाल सिंह, भुनेश्वर राठौर, मुकुन्द सिंह, राजेश पाण्डेय, के. एन. सिंह, एस. डी. सिंह एवं पंडित हरीश परसाई द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों डॉ. जयपाल सिंह, भुनेश्वर राठौर, मुकुन्द सिंह, राजेश पाण्डेय एवं के. एन. सिंह को दिनांक 26 फरवरी 2010 को तथा एस. डी. सिंह एवं पंडित हरीश परसाई को दिनांक 27 जनवरी 2011 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी डॉ. जयपाल सिंह को दिनांक 16 मार्च 2010 को, मुकुन्द सिंह को दिनांक 11 मार्च 2010 को, के. एन. सिंह को दिनांक 22 मार्च 2010, एस. डी. सिंह को दिनांक 4 फरवरी 2011 एवं पंडित हरीश परसाई को दिनांक 4 फरवरी 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी भुनेश्वर राठौर एवं राजेश पाण्डेय को उक्त कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामिल नहीं होने के कारण उन्हें पुन: कारण बताओ सूचना दिनांक 28 मई 2011 को जारी की गई, जो भुनेश्वर राठौर को दिनांक 3 जुलाई 2011 को तथा राजेश पाण्डेय को दिनांक 5 जुलाई 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई है. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण [illegible] पाण्डेय, मुकुन्द सिंह, एस.डी.सिंह को विधिवत् तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थियों राजेश पाण्डेय, मुकुन्द सिंह एवं एस. डी. सिंह को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तद्नुसार उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी डॉ. जयपाल सिंह ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में प्रस्तुत अपने जवाब दिनांक 6 अगस्त 2011 में भी उल्लेख किया है कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 27 जनवरी 2010 को शपथ-पत्र तैयार नहीं होने के कारण दिनांक 28 जनवरी

2010 को दाखिल कर दिया है. डॉ. जयपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब के संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत चाहा गया. निर्वाचन अधिकारी के अपने ज्ञापन दिनांक 29 अक्टूबर 2010 में यह अभिमत दिया है कि महापौर पद के प्रत्याशी डॉ. जयपाल सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा शपथ पत्र सहित दिनांक 28 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी डॉ. जयपाल सिंह को सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 6 अगस्त 2011 को शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया, जिसमें अभ्यर्थी डॉ. जयपाल सिंह ने आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि अपने शपथ पूर्वक बयान में किया है कि उसने दिनांक 28 जनवरी 2010 को एफीडेविट के साथ निर्वाचन व्यय लेखा जिला कार्यालय कोरबा में प्रस्तुत कर दिया है.

5. अभ्यर्थी के. एन. सिंह ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में प्रस्तुत अपने जवाब दिनांक 26 मार्च 2010 में उन्होंने उल्लेख किया है कि दिनांक 28 दिसंबर 2009 से 22 मार्च 2010 तक बीमार रहने के कारण उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30 मार्च 2010 को दाखिल किया है. अभ्यर्थी के. एन. सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 20 मई 2010 द्वारा अभिमत दिया हैं कि अभ्यर्थी के. एन. सिंह द्वारा दिनांक 23 मार्च 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया है. उन्होंने शारीरिक अस्वस्थता बाबत् डॉ. एम. पी. राठौर द्वारा जारी दिनांक 23 मार्च 2010 का मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया है. अभ्यर्थी के. एन. सिंह को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनका शपथ पूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया जिसमें उसने शारीरिक अस्वस्थता के कारण समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने की पुष्टि में चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना दर्शाया.

6. अभ्यर्थी पंडित हरीश परसाई ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में प्रस्तुत जवाब दिनांक 4 फरवरी 2011 में उल्लेख किया है कि उन्होंने दिनांक 31 दिसंबर 2010 को शपथ पत्र के साथ निर्वाचन व्यय लेखा तैयार कर लिया था परन्तु दिनांक 10 जनवरी 2010 को अचानक एक्सीडेंट होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विलम्ब हुआ है. अभ्यर्थी पंडित हरीश परसाई द्वारा प्रस्तुत जवाब के संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञाप क्र./नपानि/व्यय लेखा/11 दिनांक 5 मार्च 2011 को अभिमत दिया कि नगरपालिक निगम कोरबा के महापौर पद के अभ्यर्थी पंडित हरीश परसाई द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30 जनवरी 2010 को शपथ पत्र (जो नोटरी से तारीख 31 दिसंबर 2009 को सत्यापित) एवं अन्य पूर्ण दस्तावेज सहित जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने एक्सीडेन्ट के कारण विलंब से प्रस्तुत दस्तावेज स्वीकार योग्य होना बताया है. अभ्यर्थी पंडित हरीश परसाई ने डॉ. सुरजीत सिंह द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2010 को जारी मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया है. अभ्यर्थी पंडित हरीश परसाई को समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 3 सितम्बर 2011 को उनका शपथ पूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया जिसमें अभ्यर्थी पंडित हरीश परसाई ने अभ्यावेदन के तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया है कि उसने निर्वाचन परिणाम घोषित होने के उपरान्त दिनांक 31 दिसम्बर 2009 को निर्वाचन व्यय लेखा एवं शपथपत्र समयावधि में प्रस्तुत करने तैयार कर लिया था लेकिन अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसे नर्सिंग होम में भरती होना पड़ा. निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30 जनवरी 2010 को स्वस्थ होने पर निर्वाचन कार्यालय कोरबा में प्रस्तुत किया. विलम्ब अस्वस्थता के कारण हुआ जो पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण से बाहर था.

7. अभ्यर्थी भुनेश्वर राठौर ने कारण बताओ सूचना के संदर्भ में आयोग को अपना जवाब दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित दस्तावेज उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करा दिया गया था. अगर किसी कारणवश विलंब हुआ होगा तो वह चुनावी व्यस्तता के कारण हुआ होगा या अज्ञानतावश हुआ होगा. उनके द्वारा गलतियों के लिए क्षमा करने का भी निवेदन किया गया. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत है कि अभ्यर्थी भुनेश्वर राठौर ने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 16 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया था जिसमें सारगर्भित त्रुटियां थी. निर्वाचन व्यय लेखा की पुष्टि हेतु साथ में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है. अभ्यर्थी भुनेश्वर राठौर को सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 10 मई 2012 को उनका शपथ पूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया जिसमें उसने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने की बात स्वीकार की है.

8. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से संबंधित अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थीगण डॉ. जयपाल सिंह, भुनेश्वर राठौर, मुकुन्द सिंह, राजेश पाण्डेय एवं के. एन. सिंह, ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और अभ्यर्थी एस. डी. सिंह तथा पंडित हरीश परसाई ने निर्वाचन व्यय लेखा समय से दाखिल नहीं किया है जो अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 14-क. (1) महापौर के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**— प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :—

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तारीख से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

9. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह विदित होता है कि अभ्यर्थी डॉ. जयपाल सिंह द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 28 जनवरी 2010 को दाखिल किया गया. उनके द्वारा यह भी दलील दी गई कि उसने व्यय लेखा तैयार कर लिया था परंतु शपथपत्र संलग्न नहीं होने कारण वापस कर दिया गया. फिर शपथपत्र के साथ दिनांक 28 जनवरी 2010 को जिला निर्वाचन कार्यालय कोरबा में प्रस्तुत कर दिया है. इस परिस्थिति में अभ्यर्थी डॉ. जयपाल सिंह द्वारा विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति का कारण अच्छा एवं न्यायोचित्यपूर्ण प्रतीत होता है.

10. अभ्यर्थी के. एन. सिंह के द्वारा दलील दी गई है कि वह बीमार था. उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30 मार्च 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था. उनके निर्वाचन अभिकर्ता अमर नारायण सिंह थे. अगर वे चाहते तो निर्वाचन व्यय लेखा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से अधिसूचित अधिकारी निर्वाचन अधिकारी को नियत अवधि में प्रस्तुत कर सकते थे. परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया. डॉ. एन. पी. राठौर चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सक प्रमाण पत्र दिनांक 23 मार्च 2010 में दिनांक 28 दिसंबर 2009 से 22 मार्च 2010 तक विश्राम करने की सलाह दी गयी है. उक्त चिकित्सक द्वारा दिनांक 23 मार्च 2010 से स्वस्थ होने का स्पष्ट उल्लेख उक्त प्रमाण पत्र में किया गया है. अभ्यर्थी ने दिनांक 23 मार्च 2010 से 29 मार्च 2010 तक के विलंब का कोई न्यायोचित्यपूर्ण कारण नहीं बताया है; उनके द्वारा प्रस्तुत दलील को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता. विधि की अपेक्षा के अनुरूप निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने का विलम्ब का कारण अच्छा अथवा न्यायोचितपूर्ण नहीं माना जा सकता है.

11. अभ्यर्थी पंडित हरीश परसाई द्वारा दलील दी गई कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा मय सम्पूर्ण कागजात दिनांक 31 दिसंबर 2009 को तैयार कर लिया था. लेकिन उनका दिनांक 10 जनवरी 2010 को अचानक एक्सीडेंट होने की वजह से कमर में गहरी चोट आ गई जिसके कारण एक माह के लिए उसे ट्रेक्शन लगाकर बिस्तर पर रखा गया था. वह हिलडुल नहीं सकते थे. चिकित्सक के प्रमाण पत्र तथा शपथपत्र से इसकी पुष्टि होती है. अभ्यर्थी ने 30 जनवरी 2010 को व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा को प्रस्तुत किया है. अतः अभ्यर्थी पंडित हरीश परसाई द्वारा विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति का अच्छा एवं औचित्यपूर्ण कारण मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है.

12. अभ्यर्थी भुनेश्वर राठौर ने दलील दी है कि चुनावी व्यस्तता के कारण विलम्ब हुआ है, अथवा अज्ञानतावश हुआ है. उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार योग्य नहीं है. इन्होंने शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है. अतः उनके द्वारा विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना नहीं माना जा सकता है.

13. उपरोक्त कंडिकाओं में की गई विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थीगण डॉ. जयपाल सिंह एवं पंडित हरीश परसाई द्वारा आयोग को प्रस्तुत दलील स्वीकार योग्य तथा अभ्यर्थीगण भुनेश्वर राठौर एवं के. एन. सिंह द्वारा प्रस्तुत दलील स्वीकार योग्य नहीं है. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थीगण एस. डी. सिंह, राजेश पाण्डेय एवं मुकुन्द सिंह के द्वारा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अभ्यर्थीगण भुनेश्वर राठौर, मुकुन्द सिंह, राजेश पाण्डेय, के. एन. सिंह एवं एस.डी. सिंह अधिनियम की धारा 14-ख में वर्णित समयावधि के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से प्रस्तुत नहीं किये हैं. इस असफलता के लिए ये अभ्यर्थी कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता भी नहीं रखते हैं. अतः आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभ्यर्थीगण के. एन. सिंह, भुनेश्वर राठौर, मुकुन्द सिंह, राजेश पाण्डेय एवं एस. डी. सिंह निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थीगण के. एन. सिंह, भुनेश्वर राठौर, मुकुन्द सिंह, राजेश पाण्डेय

एवं एस. डी. सिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से तीन साल एवं छः माह की कालावधि के लिये नगरपालिक निगम का महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अभ्यर्थी डॉ. जयपाल सिंह एवं पंडित हरीश परसाई द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति में हुए विलम्ब के लिए प्रस्तुत कारण उपयुक्त एवं न्यायोचित्य होने से उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

14. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 20 नवम्बर 2012 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.